न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 945–एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 199/2008–09/निगरानी.

कांतीलाल पिता नानालाल सोनी (मृतक)
द्वारा वारिसान–

1– उमादेवी पति कांतीलाल सोनी
2– मीनाक्षी पिता कांतीलाल सोनी
3– दीपक पिता स्व. कांतीलाल सोनी
4– बलवंतसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत
5– आबिद हुसैन पिता सबराती शाह
6– नंदकिशोर पिता धूलचंद सोनी
द्वारा मुख्त्यारआम
दीपक पिता स्व. कांतीलाल सोनी
निवासीगण मंदसौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

शंकरलाल पिता धुलचंद सोनी
निवासी धमनार हाल मुकाम दलोदा
स्टेशन तहसील मंदसौर .....अनावेदक

श्री संदीप मेहता अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम.एल. जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर मंदसौर के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 144 सहपठित संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–9/03–04 में दिनांक 31–7–04 को आदेश पारित कर उसकी भूमि सर्वे कमांक 764/1732 को एक ही नम्बर 764 रकबा 1.014 बनाकर उसकी भूमि अन्यत्र दर्शायी गई

है। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रकरण कमांक 466/अपील/03–04 प्रस्तुत की गई थी, जिसे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–6–05 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 1109–एक/05 प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21–8–07 को आदेश पारित कर अपील निरस्त किया जाकर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा गया । अतः कलेक्टर के आदेश दिनांक 31–7–04 के पूर्व ग्राम दलौदारेल की भूमि सर्वे कमांक 764/1732 का लोकेशन नक्शे में दर्ज रहा, उसी स्थान पर उसका नाम पूर्ववत दर्ज किया जाये । कलेक्टर द्वारा दिनांक 1–9–09 को आदेश पारित कर निर्देश दिये गये कि राजस्व मण्डल के आदेश का पालन राजस्व न्यायालयों को करना ही चाहिए । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–6–11 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक को दस दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों व अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर का यह आदेश कि राजस्व मण्डल के आदेश का पालन करना चाहिए लेकिन बन्दोबस्त के बाद सभी सर्वे नम्बर में परिवर्तन हो गया है, इसलिए राजस्व मण्डल का निर्णय विद्यमान नहीं रहा । अतः कलेक्टर का आदेश त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदक का सर्वे नम्बर 764/1732 रकबा 543 आरे बन्दोबस्त पश्चात नया सर्वे नम्बर 213 रकबा 543 आरे एवं आवेदकगण का सर्वे नम्बर 764 रकबा 1.014 हेक्टेयर बन्दोबस्त पश्चात नया सर्वे नम्बर 214 रकबा 0.851 आरे हो गया है और आवेदकगण की रजिस्ट्री से यह सर्वे नम्बर मिलान होता है ।

(3) सर्वे कमांक 214 का डायवर्सगन भी हो गया है और आवेदकगण द्वारा प्लॉटों का विक्रय भी कर दिया है । जिन व्यक्तियों द्वारा प्लाट क्रय किये गये हैं उक्त सर्वे नम्बरों में से सर्वे कमांक 851 को छोड़कर बाकी पर कब्जा उन्हीं व्यक्तियों का है ।

(4) बन्दोबस्त उपरान्त पुराने सर्वे नम्बरों में परिवर्तन हो गया है और उभय पक्ष अपने–अपने सर्वे नम्बर पर काबिज हैं, जिस पर बिना विचार किये जो आदेश पारित किया गया है, वह अवैधानिक तथा त्रुटिपूर्ण है ।

(5) अनावेदक पुराने निर्णयों के आधार पर आवेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 214 पर कब्जा करना चाहता है, जबकि नये बन्दोबस्त के कारण पुराने निर्णय विद्यमान नहीं रहते हैं ।

(6) अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 144 सहपठित संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि प्रकरण में लागू नहीं होता है और प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं था, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 1–9–09 को आदेश पारित कर पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश दिये गये थे और कलेक्टर का आदेश इस न्यायालय तक अपील में स्थिर रहा है । अतः कलेक्टर द्वारा इस न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने के निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, और कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रथम अपील प्रकरण में दिनांक 24–6–2005 को एवं राजस्व मण्डल द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण में दिनांक 21–8–07 को पारित आदेश के पालन में मात्र अभिलेखों में पूर्व की स्थिति बहाल की गई है । उसे ही चुनौती दी गई है । अतः इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–11 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर